registered during the period 1.12.91 to 30.11.92 against builders.

(c) Penal action against builders against whom prosecution results in conviction has to be taken by the competent courts in accordance with the law.

(d) and (e) A rating agency is proposed to be set up to give approved status to developers and property agents on the basis of clearly defined criteria based on the qualifications and previous performance of the builders and property agents. A model legislation for the registration and regulation of builders has been referred for necessary action to state governments.

Land-Racketeers and Speculators in Developed Colonies of Delhi

3969. SHRI JAGMOHAN: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of houses in the well-planned and recently developed colonies in Delhi like Greater Kailash-II Panchsheel, Vasant Vihar, Anand Lok and Sarvapriya Vihar have been purchased or contracted by the landracketeers and speculators with the sole objective of demolishing them and putting up new constructions in violations of the municipal bye-laws, zoning and density regulations;

(b) whether it is also a fact that instead of one or two dwelling units that existed previously, six to eight dwelling units have now been put up or are being put up; and

(c) if answers to (a) and (b) above be in the affirmative what corrective steps are being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Municipal Corporation of Delhi has reported that no such instance has come to their notice. Action is taken by local bodies in respect of all constructions violating the building regulations and master plan Much come to their notice.

(b) and (c) Question does not arise.

3970. *[Transferred to the 17th December, 1992]*

कमजोर वर्गों के लिए आवास सुविधाएं

3971. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को आवास सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में शुरू की गई परियोजनाओं के नाम क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितने प्रतिशत प्रगति की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) राष्ट्रीय आवास नीति में लोगों की आवास स्थितियों को सुधारने, विशेषकर बेघरों, अपर्याप्त मकानों में बसे लोगों और उपेक्षित वर्गों को विकसित भूमि, भवन निर्माण सामग्रियों, वित्त तथा प्रौद्योगिकी की पहुंच के माध्यम से स्वयं के लिए सस्ते मकान प्राप्त करने पर बल दिया गया है। इस संबंध में योजनायें और कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा तैयार और कार्यान्वित की जानी हैं। केन्द्रीय सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आवास सहायता की केन्द्रीय योजनाओं, शहरी निर्धनों की आश्रय सुधार और पटरी निवासियों के लिए रैन बसेरा योजनाओं को चलाती है। हुडको शहरी क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग की आवास योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था कर रहा है जबकि राष्ट्रीय आवास बैंक छोटे रिहायशी एककों के लिए दिए ऋणों के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है।

(ख) और (ग) आवास राज्य का विषय होने के नाते समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित विभिन्न सामाजिक आवास योजनायें राज्य सरकारों द्वारा राज्य योजना प्रावधानों में से तैयार और कार्यान्वित की जाती है। उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इस संबंध में लक्ष्य भी तय किए हैं। तथापि, नितान्त रूप

से निर्धन लोगों की आश्रय स्थितियों को सुधारने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र की कुछ योजनायें आरम्भ की हैं। ब्यौरे इस प्रकार हैः—

(I) इन्दिरा आवास योजनाः—यह योजना जवाहर रोजगार योजना का एक घटक है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति के निर्धन लोगों में से निर्धनतम लोगों एवं मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को मकानों के निर्माण के लिए सब्सिडी देना है। गत 5 वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत किया गया व्यय इस प्रकार हैः

1987-88	167.70 करोड़ रुपये
1988-89	150.75 करोड़ रुपये
1989-90	175.86 करोड़ रुपये
1990-91	187.96 करोड़ रुपये
1991-92	263.62 करोड़ रुपये

(II) नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत आवास तथा आश्रय सुधारः—यह योजना आवास और आश्रय सुधार के माध्यम से और नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देकर शहरी रोजगार मुहैया करने के उद्देश्य से 89-90 में आरम्भ की गई थी। गत तीन वर्षों के दौरान दी गई केन्द्रीय सब्सिडी नीचे दर्शायी गई हैः—

1989-90	23.50 करोड़ रुपये
1990-91	34.04 करोड़ रूपये
1991-92	13.60 करोड़ रुपये

इस सब्सिडी का हुडको ऋण के साथ गठजोड़ किया गया है जिससे 7073.21 रिहायशी एककों का सुधार होगा।

(III) पटरी निवासियों के लिए रैन बसेरेः शहरी पटरी निवासियों के लिए रैन बसेरा/स्वच्छता सुविधायें प्रदान के उद्देश्य से यह योजना 88-89 में आरम्भ की गई थी।

1990-91 से 12237 में पटरी निवासियों को रैन बसेरा सुविधायें प्रदान करने के लिए कुल 86 योजनायें स्वीकृत की गई थी।

जहां तक हुडकों की सहायता का संबंध है, हुडको द्वारा वार्षिक नियतन का लगभग 55 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए किया जाता है और इसके द्वारा स्वीकृत किए गए रिहायशी एककों का लगभग 90 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के लिए होते हैं।

पिछले 5 वर्षों के दौरान, हुडको ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के लिए निम्नलिखित ऋण/रिहायशी एकक स्वीकृत किए हैः

वर्ष	आवास परियोजना के लिए स्वीकृत ऋण (करोड़ रुपयों में)	ई॰ डब्लयू॰ एस/एल॰ आई॰ जी॰ के स्वीकृत रिहायशी एकक लिए स्वीकृत ऋण की प्रतिशतता	
1987-88	360.39	61 प्रतिशत	299125
1988-89	475.30	60 प्रतिशत	379714
1989-90	600.69	55 प्रतिशत	665485
1990-91	796.41	56 प्रतिशत	832830
1991-92	774.48	64 प्रतिशत	669905
1992-93 (31.10.92 की स्थिति के अनुसार)	214.11	53 प्रतिशत	96862

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों की बिगड़ी हालत

3972. **डा॰ बापू कालदातेः** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः—

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये जा रहे मकानों का स्तर गिरता जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) बनाये जा रहे मकानों का स्तर सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।